संख्या-324/2020/3020/22-2-2019-17(1176)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 18 अगस्त, 2020***

विषय:-केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बउआ गुप्ता पुत्र श्री दयाशंकर गुप्ता निवासी जिला-लखनऊ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35064/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-19.09.2019) दिनांक-03.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बउआ गुप्ता पुत्र श्री दयाशंकर गुप्ता, कुन्डरी रकाबगंज, थाना-बजीरगंज, जनपद-लखनऊ का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 14.12.1999 को 07 वर्षीय किशोरी से बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-655/2000 में भा0द0वि0 की धारा-376 के अन्तर्गत मा0 अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लखनऊ के आदेश दिनांक 23.11.2001 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.03.2019 तक 19 वर्ष 02 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 04 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण असंतोषजनक है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित गम्भीर अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में निरूद्ध रहने से अपराध की सम्भावनायें नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 14.12.1999 को वादी की 07 वर्षीय पुत्री जो घर से अपनी अम्मी के लिए पान लेने निकली थी, को खिलौने व कपड़े आदि दिलाने का लालच देकर पार्क में ले जाकर बलात्कार करने का घृणित, जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा किया गया अपराध गम्भीर अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जेल आचरण असंतोषजनक होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बउआ गुप्ता पुत्र दयाशंकर गुप्ता को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बउआ गुप्ता (बन्दी संख्या-27456) पुत्र श्री दयाशंकर गुप्ता निवासी जिला-लखनऊ को फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-324/2020/3020(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-लखनऊ ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-324/2020/3020/22-2-2019-17(1176)/2019

दिनांक 18 अगस्त, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बउआ गुप्ता (बन्दी संख्या-27456) पुत्र श्री दयाशंकर गुप्ता, कुन्डरी रकाबगंज, थाना-बजीरगंज, जनपद-लखनऊ का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 14.12.1999 को 07 वर्षीय किशोरी से बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-655/2000 में भा0द0वि0 की धारा-376 के अन्तर्गत मा0 अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लखनऊ के आदेश दिनांक 23.11.2001 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.03.2019 तक 19 वर्ष 02 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 04 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण **असंतोषजनक** है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित गम्भीर अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में निरूद्ध रहने से अपराध की सम्भावनायें नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 14.12.1999 को वादी की 07 वर्षीय पुत्री जो घर से अपनी अम्मी के लिए पान लेने निकली थी, को खिलौने व कपड़े आदि दिलाने का लालच देकर पार्क में ले जाकर बलात्कार करने का घृण्ति, जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा किया गया अपराध गम्भीर अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरत, जघन्यता, जेल आचरण असंतोषजनक होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बउआ गुप्ता पुत्र दयाशंकर गुप्ता को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in